भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

CANCELLED

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GH 571236

(प्रारूप-''अ'')

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबन्ध न्यासी/सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

S.N. 640
Date 01-9-2023

हम आशीष कुमार राय एवं अविनाश राय क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबन्ध न्यासी/सचिव, विद्या राय सोशल वेलफ़ेयर ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट सिखड़ी जिला गाजीपुर उ.प्र. शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं –

1. यह कि हमारे ट्रस्ट द्वारा श्री राम कालेज आफ फार्मेसी सिखड़ी गाजीपुर ग्राम व पोस्ट – सिखड़ी परगना शादियाबाद तहसील जखनियाँ जनपद गाजीपुर नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2020-21 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारे ट्रस्ट के नाम ग्राम व पोस्ट सिखड़ी परगना शादिया बाद तहसील जखनियाँ जनपद गाजीपुर में गाटा सं.- 121 कुल रकबा 1.5440 हे0 मे से 0.2530 हे0 विद्या राय शोसल वेलफ़ेयर ट्रस्ट सिखड़ी गाजीपुर के नाम भूमि अंकित है
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं.-121 कुल रकबा1.5440 हेक्टेयर मे से 0.2530 हे0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 18.11.2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

NOTARY
Tahsil Head Quarter
Jakhaniyan, Ghazipur

NOTARY * GOVT. OF U.P. *
HARI NARAYAN SINGH
Area- Tehsil H.Q.
Jakhanian-Ghazipur
Regd. No. 26407/99
Exp. Dt. 29-3-2027

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली के नियमो के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई.टी.आई. आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि , शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशो का भलीभांति पालन करूंगा | यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा | इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी |

13. मै घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है | यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी | ऐसी की गई विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वयं उत्तरदायी होऊंगा |

NOTARY
Tahsil Head Quarter
Jakhanian, Ghazipur

ह. अध्यक्ष

ह. प्रबन्ध न्यासी/सचिव

NOTARY
HARI NARAYAN SINGH
Area- Tehsil H.Q.
Jakhanian-Ghazipur
Regd. No. 25(07)99
Exp. Dt.-29-3-2027
GOVT. OF U.P.